

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान रामप्रसाद बनाम आरती

मा संख्या/वर्ष टी0आई0 52/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>27/3/25</p>	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 32 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम यादव हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, भू. अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 211 रकबा 1.6820 है०, प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 31 व 33 लगायत 37 की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 32 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया।</p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की जवाब/बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी</p>	


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

07/31/25

का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होंगा है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 211 रकबा 1.6820 है, पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/31/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।


साथक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम